छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | पंचादश सत्र | अंक-12

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018

(फाल्गुन 2, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 एवं 05 से 13 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 एवं 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल एवं जनकराम वर्मा अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 33 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(1) पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर का तिरपनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17,

(2) बिलासपुर विश्वविद्यालय का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17,

(3) बसतर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17,

(4) सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तथा

(5) दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 **पटल पर रखे।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र धरसींवा के ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण से जल दूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर जिला अंतर्गत संचालित शासकीय महारानी जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री धनेन्द्र साहू
(3) श्री बृहस्पत सिंह
(4) श्री अरूण वोरा
(5) डॉ. विमल चोपड़ा

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.41 बजे स्थगित की जाकर 12.51 बजे पुन: समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. वर्ष 2018-2019 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय आदिम जाति विकास मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. खिलावन साहू, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, राजशरण भगत, संतराम नेताम, अमरजीत भगत, मनोज सिंह मण्डावी, देवजी भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री मोहन मरकाम, अवधेश सिंह चंदेल, दलेश्वर साहू, उमेश पटेल, दीपक बैज, (डॉ.) विमल चोपड़ा, केशव चंद्रा, मोतीलाल देवांगन।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री दयाल दास बघेल, सहकारिता मंत्री ने सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 26 एवं पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-17 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, (डॉ.) प्रीतम राम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री भैयाराम सिन्हा, दीपक बैज, बघेल लखेश्वर, पारसनाथ राजवाड़े मांग संख्या-26 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, बघेल लखेश्वर, भैयाराम सिन्हा मांग संख्या-37 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अरूण वोरा, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, बघेल लखेश्वर, भैयाराम सिन्हा एवं मोहन मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, बृहस्पत सिंह, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री केशव चंद्रा, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री अमरजीत भगत,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, दीपक बैज, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती केराबाई मनहर,

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 एवं समाज कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 34 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-55 पर श्री बघेल लखेश्वर, डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, बृहस्पत सिंह मांग संख्या-34 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, बघेल लखेश्वर, पारसनाथ राजवाड़े, श्रीमती देवती कर्मा एवं श्री दीपक बैज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्री दीपक बैज,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने श्रम से संबंधित मांग संख्या 18 एवं खेल और युवा कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-18 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, दीपक बैज, श्रीमती अनिला भेंडिया मांग संख्या-43 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री दीपक बैज, बृहस्पत सिंह, बघेल लखेश्वर एवं डॉ. प्रीतम राम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू ने चर्चा में भाग लिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 22 फरवरी, 2018 (फाल्गुन-3, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा